

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर (म.प्र.)

रा.सि.वी.क्रं.

R-24-I-17

प्रस्तुत दिनांक 29/12/2016

गोकुल सिंह राय पिता गिरजा प्रसाद राय उम्र 65 वर्ष

निवासी ग्राम हीरापुर तह. नैनपुर

जिला मण्डला (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

बराती लाल साहू पिता नोखेलाल साहू उम्र 37 वर्ष

निवासी ग्राम हीरापुर तह. नैनपुर

जिला मण्डला (म.प्र.)

उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है :-

पुनरीक्षणाधीन आदेश :-

माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर की न्यायालय में प्रस्तुत अपील जिसका राजस्व प्रकरण कं. 416/अ-5/2014-15 आवेदक गोकुल सिंह राय विरुद्ध

26-5-17

प्रमाण दाखल किया गया

आवेदक को कोर्ट के श्री. रमेश  
शरण चौकसे का उपस्थित  
लेकर प्रमाण वापिस लेने हेतु  
आवेदन पर प्रत्युत किया गया।  
विचारोपरान्त प्रत्युत आवेदन  
स्वीकार किया जाना है। आवेदक  
कोर्ट के निवेदन पर प्रमाण  
इसी तरह पर Not दिखे  
के समान किया जाना है।  
प्रमाण दाखिल किया है।

अदालत